राजस्थान सरकार
वित्त (जीएण्डटी) विभाग

क्रमांकः प. 1(1) वित्त/साविलेनि/2007 — जयपुर, दिनांक : 17.06.2020

परिपत्र

विषय : कोविड–19 की विशिष्ट परिस्थितियों में कार्य निष्पादन प्रतिभूति के प्रतिदाय के प्रावधान।

राज्य सरकार द्वारा माल, सेवा तथा संकर्म के उपापन में संवेदक से कार्य संपादन प्रतिभूति (Performance Security) लिये जाने के प्रावधान राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 75 में वर्णित हैं।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–।। के नियम 57 तथा 68 एवं लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–। के नियम 597 में संवेदक से प्राप्त कार्य संपादन प्रतिभूति के प्रतिदाय के प्रावधान वर्णित है।

वर्तमान में विश्वव्यापी कोविड–19 महामारी की इस विशिष्ट परिस्थिति में संवेदकों के पास नकदी की तरलता की वृद्धि हेतु कार्य संपादन प्रतिभूति के प्रतिदाय के प्रावधानों में वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु निम्नानुसार प्रावधान किये जाते हैं :–

जहां संवेदक द्वारा कुल अनुबंध राशि के 50 प्रतिशत तक या इससे अधिक सामान की आपूर्ति, सेवा प्रदाय, संकर्म का निष्पादन पूर्ण कर दिया हो तथा अनुबंध की समस्त अन्य शर्तों की पालना पूर्ण हो रही हो तो संवेदक के आवेदन के आधार पर कुल कार्य संपादन प्रतिभूति राशि का 25 प्रतिशत तक प्रतिदाय किये जाने का उपापन संस्था द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। इसी प्रकार 75 प्रतिशत या इससे अधिक कार्य पूर्ण होने पर 50 प्रतिशत, 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर 75 प्रतिशत राशि प्रतिदाय की जायेगी। शेष 25 प्रतिशत राशि अनुबंध की शर्तों के पूर्ण होने के उपरांत ही प्रतिदाय की जायेगी।

इस प्रकार कम से कम अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्धारित कार्य संपादन प्रतिभूति की 25 प्रतिशत राशि उपापन संस्था के पास रहेगी तथा अनुबंध की शर्तों की पालना के अध्यधीन ही प्रतिदाय की जायेगी।

यह परिपत्र निर्माण विभागों के O&M प्रकरणों पर प्रभावी नहीं होगा।

17/6/2020
(हेमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव,
वित्त (बजट) विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/ विशिष्ठ शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर। 4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर। 6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
8. प्रधान महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यक लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
10. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग को उनके अधीनस्थ अंकेक्षण दलों द्वारा इन निर्देशों की पालनार्थ।
11. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ समस्त उपापन
12. संस्थाओं को इस परिपत्र की प्रति प्रेषित करा कर इसकी पालना सुनिश्चित करावें।
13. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर। 14. समस्त कोषाधिकारी।
15. तकनीकी निदेशक (computer cell), वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

17/6/2020
(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR 8/2020)

GFR Rules-new